राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 806/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर.टी.आई. रिसर्च सेन्टर बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 15-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राजेश कुमार शर्मा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-01-2017 के द्वारा भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार को पत्र संख्या 25(1)/20/2016 दिनांक 26-09-2016 प्रेषित किया है उक्त पत्र पर अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 04-08-2016 पर टिप्पणी मांगी गई है जिससे संबंधित सूचनाओं की प्रति/ छायाप्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-01-2017 के संबंध में विभाग के पत्र दिनांक 07-02-2017 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान की गई है कि भारत सरकार के नीति आयोग का पत्र दिनांक 26-09-2016 को अतिरिक्त मुख्या सचिव जल संसाधन जयपुर के कार्यालय में डायरी क्रमांक 9588 दिनांक 04-10-2016 द्वारा मूल ही मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग को प्रेषित किया गया था। प्रत्यर्थी ने यह भी बताया कि उक्त विषय में पूर्व में भी विभाग द्वारा कई पत्रों से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी ने एक ही सूचना के संबंध में कई आवेदन प्रस्तुत किये हैं। इनकी द्वितीय अपीलें संख्या 7681/17 तथा 12392/2017 निर्णय दिनांक 20-11-2017 तथा 30-01-2018 से खारिज करदी गई हैं।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 22-02-2018 प्रस्तुत किया है जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त